

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प _____

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी _____
व. भू.अ.नि. _____ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार _____/नायब
तहसीलदार _____ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान यू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम _____ तहसील _____
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् _____ में खाता संख्या _____ में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	चराणा	100	गोपाल पुत्र किशनलाल जाट	गोपीलाल पुत्र किशनलाल जाट
02	"	101	_____ do _____	_____ do _____
03	"	694	_____ do _____	_____ do _____
04	"	695	_____ do _____	_____ do _____
05	"	870	_____ do _____	_____ do _____
06	"	871	_____ do _____	_____ do _____

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, _____
राजसमन्द

क्रमांक:- 308

प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 10/10/25.

1. तहसीलदार _____ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री _____ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, _____
राजसमन्द